

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि का समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे पत्रावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक ०३/१२/२० को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया



प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official